न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 14/2024 राजस्व वाद

01. मोहन लाल पिता नाथु लाल जाति बागरिया आयु वयस्क निवासी–दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——— वादी

बनाम

01. बन्ना पिता जग्गु जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी–दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. मेमा पत्नी नारायण लाल जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी–दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. डाउ पिता गोपीलाल जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी–दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

उपस्थित :–

1. श्री मनोहर लाल सैन ——अधिवक्ता प्रार्थी/वादी
2. एकपक्षीय– ——प्रतिवादी संख्या 01 से 03
3. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 04

:: निर्णय ::

दिनांक– 01/08/2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 183 आर.टि.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 360 मे वर्णित आराजी नम्बर 1235/1 व 1237/1 कुल किता 02, कुल रकबा 0.4300 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 ने उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 86/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 06.07.2021 को हुआ, निर्णय की पालना में दिनांक 25.02.2022 को उक्त आराजी की पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे वादी के आराजी नम्बर 1235/1 रकबा 0.1265 हैक्टयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 का 0.0126 हैक्टयर भूमि पर, प्रतिवादी संख्या 02 का 0.0126 हैक्टयर भूमि पर व आराजी नम्बर 1237/1 रकबा 0.3035 हैक्टयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 का 0.0126 हैक्टयर भूमि पर व प्रतिवादी संख्या 03 का 0.0253 हैक्टयर भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया। वादी की आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का कोई हक अधिकार नही है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात पर किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 03 ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादी ने दिनांक 10.01.2022 को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 वादी के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 ने वादी को धमकी दी कि वादी की मर्जी आये जो कर लेना, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 उक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेगे तथा वादी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का कुछ नही बिगाड सकता है। इस कारण से वादी को यह वादपत्र पेश करने की नौवत पेश आयी है। वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के विरूद्व इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 360 मे वर्णित आराजी नम्बर 1235/1 रकबा 0.1265 हैक्टयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 का 0.0126 हैक्टयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 02 का 0.0126 हैक्टयर भूमि पर व आराजी नम्बर 1237/1 रकवा 0.3035 हैक्टयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 का 0.0126 हैक्टयर भूमि पर व प्रतिवादी संख्या 03 का 0.0253 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया गया, प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 04 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र पेश किया गया व जमाबंदी की नकल व मौका पर्चा रिपोर्ट प्रदर्शित करवाये गये।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 ने सरहद दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 360 मे वर्णित आराजी नम्बर 1235/1 रकवा 0.1265 हैक्टयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 का 0.0126 हैक्टयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 02 का 0.0126 हैक्टयर भूमि पर व आराजी नम्बर 1237/1 रकबा 0.3035 हैक्टयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 का 0.0126 हैक्टयर भूमि पर व प्रतिवादी संख्या 03 का 0.0253 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित कराई जावें व तदनुसार डिक्री जारी हो।खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)